राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2016
लोक अदालत के समक्ष
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादीः– रमजान पुत्र मन्ना जाति मुसलमान पिंजारा नि0 कनवाडा तह0 देवली

प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः–तहसीलदार दूनी जिला टोंक

न्यायालय अति0 कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्याः–46/2016

उपस्थितः–श्री विजय कुमार पारीक, अभि0 अपीलाण्ट/श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभि0 रेस्पो0

अध्यक्ष का नाम :– श्री लोकेश कुमार गौतम, अति0 जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम :– अभिभाषक श्री प्रदीप कुमार साहू

निर्णय दिनांक 13.05.2016

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता हैः–

अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नहीं होने, कब्जा छोडने व भविष्य में राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र पेश किया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 14.12.2015 से अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की छाया प्रति संलग्न कर नायब तहसीलदार नासिरदा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलाण्ट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है तो सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 के तहत कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।.

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेरोकार

न्यायालय की मुद्रा

सदस्य
अधिवक्ता

अध्यक्ष
अति0 जिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner